न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)
(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नम्बरः–12/25
महेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र स्व0 श्री अंगद, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बिडयारी, तहसील बयाना जिला भरतपुर

........................प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार बयाना

.....................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट।

निर्णय

दिनांकः– 10.11.2025

उपस्थितिः– श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा एड0 प्रार्थी

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान सैटिलमैन्ट के दौरान ग्राम बागरैन से ही ग्राम भिडावली सृजित किया गया है। पुराना आराजी खसरा नम्बर 914 रकवा 23 बीघा 11 विस्वा ग्राम बागरैन तहसील बयाना में स्थित है कि जिसका वर्तमान सैटिलमैन्ट के दौरान आराजी खसरा नम्बर 2419 रकवा 3.82 हैक्ट. ग्राम भिडावली बनाया गया है। पुराना आराजी खसरा नम्बर 914 रकवा 23 बीघा 11 विस्वा वर्तमान सैटिलमैन्ट से पूर्व तक किस्म गैर मुमकिन बेहड रहा है लेकिन वर्तमान सैटिलमैन्ट कर्मचारियों की सहवन भूल से उक्त पुराना खसरा नम्बर 2419 रकवा 3.82 हैक्ट. स्थित ग्राम बागरैन का नवीन खसरा नम्बर 2419 रकवा 3.82 हैक्ट. ग्राम भिडावली तहसील बयाना बनाते समय इसकी किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज कर दी है जो बिलकुल गलत व खिलाफ मौका के है। उक्त ग्राम बागरैन उक्त पुराना खसरा नम्बर 914 के पास ही प्रार्थी व अन्य खातेदारों के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी स्थित है। उक्त पुराना आराजी खसरा नम्बर 2419 की किस्म गैरमुमकिन बेहड के स्थान पर गैरमुमकिन नाला दर्ज हो जाने से प्रार्थी को बडी भारी क्षति व भविष्य में परेशानी होगी, इसलिए न्यायहित में नवीन खसरा नम्बर 2419 ग्राम भिडावली तहसील बयाना की किस्म गैरमुमकिन नाला के स्थान पर गैरमुमकिन बेहड दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त खसरा नम्बर 2419 ग्राम भिडावली तहसील बयाना के पास कभी नाला नहीं रहा है। न वर्तमान में कोई नाला स्थित है। प्रार्थी दिनांक 04.03.2025 को पटवारी हल्का के पास ग्राम भिडावली में स्थित उक्त खसरा नम्बर 2419 की नकल लेने गया तो पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त नम्बर गैरमुमकिन बेहड के स्थान पर वर्तमान सैटिलमैन्ट के कर्मचारियों द्वारा किस्म गैरमुमकिन नाला गलत व खिलाफ मौका के दर्ज हो गया है तब प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज बाबत सर्वप्रथम जानकारी हुई है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में नवीन आराजी खसरा नम्बर 2419 ग्राम भिडावली तहसील बयाना की किस्म गैरमुमकिन नाला के स्थान पर गैरमुमकिन बेहड दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार बयाना को उक्त प्रकरण में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। प्रकरण में तहसीलदार बयाना ने अपने रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/25/1931 दिनांक 21.05.2025 से न्यायालय हाजा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया है कि मुताबिक जमाबंदी हाल ग्राम भिडावली के खसरा नम्बर 2419 रकवा 3.82 हैक्ट किस्म गैरमुमकिन नाला खाता संख्या 01 में सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 2419/3.82 ग्राम भिडावली ग्राम बागरैन के साविक खसरा नम्बर 914 रकवा 23 बीघा 11 विस्वा से बना है। ग्राम भिडावली (नवीन ग्राम) ग्राम बागरैन में से सृजित हुआ है। साविक खसरा नम्बर 914 रकवा 23 बीघा 11 विस्वा ग्राम बागरैन की जमाबंदी सम्वत 2003, 2009, 2015 व 2026 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2020–23 में किस्म गैरमुमकिन बेहड दर्ज रिकार्ड है। मौके पर भी उक्त

खसरा नम्बर (नवीन) 2419 की नाले जैसी आकृति नहीं होकर मौके पर पेड पौधे व पशुओं के चरने के काम आता है तथा बेहड के रूप में नजर आता है।

हमनें विद्वान अभिभाषक एड0 प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। विद्वान अभिभाषक एड0 प्रार्थी का तर्क है कि जमाबन्दी सम्वत 2003, 2009, 2015 व 2026 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2020–23 में किस्म गैरमुमकिन बेहड दर्ज रिकार्ड है। पुराने खसरा नम्वर 914 रकवा 23 बीघा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 2419 रकवा 3.82 हैक्ट. दौराने भू–प्रबन्धन बनाया गया। दौराने सेटलमेन्ट, सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने उक्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन बेहड से गै.मु. नाला दर्ज कर दिया है जो रिकार्ड व मौके के विपरित किया है। मौके पर कही भी नाला अथवा गड्डे आदि नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्वर 2419 की किस्म गैर मुमकिन नाला के स्थान पर गैर मुमकिन बेहड दर्ज करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक एड0 प्रार्थी को सुनने के उपरान्त पत्रावली व पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने खसरा नम्बर 914 रकवा 23 बीघा 11 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 2419 रकवा 3.82 हैक्ट. दौराने भू–प्रबन्धन बनाया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2076–79 अनुसार नवीन खसरा नम्बर 2419 की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में सलंग्न जमाबन्दी सम्वत 2003, 2009, 2015 में पुराने खसरा नम्बर 914 मालिक के खाते में शंकर बगैरा मजकूर दर्ज है। किस्म गैर मुमकिन बेहड दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरादावरी सम्वत 2020–23 के कॉलम संख्या 06 में शंकरसिंह बगैराह दर्ज है किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2020 अनुसार भी पुराने खसरा नम्बर 914 कि किस्म गैरमुमकिन बेहड दज है। तहसीलदार बयाना ने अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 2419 (नवीन) की नालें जैसी आकृति नहीं है। मौके पर पेड, पौधे, व पशुओं के चराने के काम आता है। बेहड के रूप में नजर आती है, एवं खसरा नम्बर 2419 की किस्म गैर मुमकिन बेहड किये जाने योग्य है। अंकित किया है। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड से यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर 914 (पुराने) किस्म कभी गैरमुमकिन नाला नहीं रही है। दौरानें भू–प्रबन्धन सहवन वश खसरा नम्बर 914 से जो नवीन खसरा नम्बर 2419 बनाया है की किस्म गैरमुमकिन बेहड के स्थान पर गैर मुमकिन नाला दर्ज किया है। खसरा नम्बर 2419 का रकवा 3.82 हैक्ट. जो बहुत बडा रकवा है नाले के रूप में नहीं हो सकती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि नवीन जमाबन्दी सम्वत 2076– 79 वाके ग्राम भिडावली तहसील बयाना में खसरा नम्बर 2419 रकवा 3.82 हैक्ट. की किस्म गैर मुमकिन नाला के स्थान पर गैर मुमकिन बेहड दर्ज कर शुद्व करें। पालना हेतु तहसीलदार बयाना को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक..........10/11/2025.........को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना

उपखण्ड अधिकारी बयाना

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बयाना (भरतपुर)